Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.09.11 17:22:13 +0530

ALOK KUMAR

MAC 41/2022

Witness No. **01** for **आवेदकगण** Deposition taken the **11.09.2023** day of witness's apparent age **53**

States of affirmation **शपथपूर्वक** my name is **मालिक राम बाघमारे** son of **अग्रहीज बाघमारे** occupation **कृषि**

address **ग्राम पाटेकोहरा पोस्ट चिचोला तहसील छुरिया जिला राजनांदगांव**

परीक्षण प्रारंभ–01:25 पी०एम०।

1– मृतक देवा बाघमारे था । आवेदिका क्रमांक 02 नगीना बाई मेरी पत्नी है । दिनांक 27.07.2022 को मेरा पुत्र देवा बाघमारे खेत में धान बोने गया था । खेत में धान बोने का कार्य वाहन ट्रेक्टर क्रमांक सी०जी०/08/सी०–5024 से चल रहा था । उक्त वाहन ट्रेक्टर कार्य के दौरान खेत में फंस गया जिसके चक्के के नीचे मेरा पुत्र लकड़ी फंसाकर निकाल रहा था । तभी वाहन ट्रेक्टर के चालक ने वाहन को तेजी एवं लापरवाही से ज्यादा एक्सीलेटर बढ़ाकर आगे बढ़ा दिया जिससे वाहन पलटी हो गया । वाहन पलट जाने से मेरा लड़का ट्रेक्टर के नीचे आकर दब गया । ट्रेक्टर के नीचे दबने से मौके पर ही मेरे पुत्र की मृत्यु हो गयी ।

2– दुर्घटना की रिपोर्टट्रेक्टर के द्वारा थाना छुरिया में हुयी थी । मेरे पुत्र की आयु दुर्घटना के समय 25 वर्ष थी । मेरा पुत्र देवा बाघमारे आर०टी०ओ० पाटेकोहरा बेरियर में डण्डा ड्यूटी का कार्य करता था । मेरा पुत्र उक्त कार्य से प्रतिदिन 1200/– रूपये आय अर्जित करता था ।

3– हमने दावा के समर्थन में दुर्घटना के संबंध में चले आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति क्रमशः अंतिम प्रतिवेदन

प्रदर्श पी–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श पी–2** एवं **प्रदर्श पी–3,** अपराध विवरण फार्म **प्रदर्श पी–4**, शव परीक्षण का आवेदन प्रदर्श पी–5, शव परीक्षण प्रतिवेदन **प्रदर्श पी–6**, संपत्ति जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी–**7, गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी–8** प्रस्तुत किया है । हमें दावा अनुसार क्षतिपूर्ति दिलायी जावे।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री योगेश्वर सिन्हा विद्वान अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्र० 1 एवं 2

4– यह कहना गलत है कि मेरा पुत्र मृतक देवा बाघमारे कुछ काम नहीं करता था । यह कहना गलत है कि वह 1200/– रूपये प्रतिदिन आय अर्जित नहीं करता था । यह कहना सही है कि मैने देवा बाघमारे के आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री डी०के० जैन विद्वान अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्र० 3

5– यह कहना सही है कि घटना के समय मैं घटना स्थल पर मौजूद नहीं था इसलिए मैं घटना होते हुये नहीं देखा है । यह कहना सही है कि मेरा पुत्र देवा अविवाहित था । यह कहना सही है कि मैने देवा के ट्रेक्टर चलाने का लाइसेंस प्रकरण में पेश नहीं किया है । स्वतः कहा कि वह खेत में मजदूरी करने गया था । मृतक देवा जिसके खेत में काम कर रहा था वह किसी बांधे का था उसका नाम मुझे नहीं मालूम ।

6– यह कहना गलत है कि घटना पूर्व देवा ही ट्रैक्टर को चला रहा था और ट्रेक्टर फंसने के बाद डिकेन्द्र आकर ट्रेक्टर को चलाने लगा । वाहन ट्रेक्टर का नंबर सी०जी०/08–5024 है । यह कहना सही कि घटना के समय ट्रेक्टर को विशाल राम किराये से बांधे के खेत में

लगाकर जोताई का काम कर रहा था । ट्रेक्टर 1100–1200/– रूपये प्रतिघण्टा के हिसाब से किराये पर चल रहा था ।

7– यह कहना सही है कि देवा बाघमारे का मुख्य कार्य डण्डा ड्यूटी ही था जिसके संबंध में मैने उसकी नियुक्ति एवं उसके आय के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है । मैं और मेरी पत्नी नगीना बाई खेती किसानी का काम करते है । गांव में खेती किसानी करने पर मुझे 200/– रूपये तक एवं मेरी पत्नी नगीना बाई को 100–150/– रूपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त हो जाती है । मैं विगत 20–25 वर्षो से खेती किसानी का काम कर रहा हूं । यह कहना सही है कि धटना के पूर्व भी मेरा परिवार खेती किसानी की आय से चलता था । स्वतः कहा कि मेरा लड़का भी आर्थिक रूप से सहयोग करता था । यह कहना सही है कि वर्तमान में भी मेरा परिवार खेती किसानी के कार्य से हम लोगो को प्राप्त होने वाली आय से चलता है । यह कहना गलत है कि मैने अधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की लालच से बढ़ा चढ़ाकर दावा पेश किया है ।

परीक्षण समाप्त–02:00 पी०एम०।

वांचित सही स्वीकृत

सही/-
(आलोक कुमार)
मोटर दुर्घटना दावाधिकरण
राजनांदगांव (छ०ग०)

मेरे निर्देशन पर टंकित

सही/-
(आलोक कुमार)
मोटर दुर्घटना दावाधिकरण
राजनांदगांव (छ०ग०)

सही/-

साक्षी के हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

मैं पुष्टि करता हूं कि अपलोड की गयी इस पी०डी०एफ० फाइल जिसमें पीठासीन अधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर है की अन्तर्वस्तु वैसी ही है जैसे मूल साक्ष्य पत्रिका में है।

अपलोडकर्ता– ईश्वर लाल देवांगन (साक्ष्य लेखक)